

बिहार सरकार
कृषि विभाग

Mail/Fax

पत्र संख्या-3/कृ०बजट आवंटन-24/2013- 100 आंशिक/कृ०, पटना, दिनांक 12/8/2013, 2013
प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।
जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/बांका/मुंगेर/लखीसराय/शेखपुरा/जमुई।

विषय : खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2013-14 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 769.0625 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 15.435 करोड़ रुपये, कुल 784.4975 करोड़ रुपये (सात अरब चौरासी करोड़ उनचास लाख पचहत्तर हजार रुपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन आकस्मिक फसल योजना के लिए तत्काल 657.00 लाख रुपये (छः करोड़ संतावन लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹6,57,00,000 (छः करोड़ संतावन लाख रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-3907 दिनांक-06.08.2013 खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2013-14 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 769.0625 करोड़ रुपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 15.435 करोड़ रुपये, कुल 784.4975 करोड़ रुपये (सात अरब चौरासी करोड़ उनचास लाख पचहत्तर हजार रुपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन आकस्मिक फसल योजना के लिए तत्काल 657.00 लाख रुपये (छः करोड़ संतावन लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹6,57,00,000 (छः करोड़ संतावन लाख रुपये) मात्र संलग्न विवरणी के अनुसार राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹6,57,00,000 (छः करोड़ संतावन लाख रुपये) मात्र का व्यय बजटशीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0103-बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना-विपत्र कोड-P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-56 83, विषयशीर्ष-33 01-सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2013-14 के लिए उपबंधित राशि 100.00 करोड़ रु० (एक अरब रु०) मात्र से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-7857 दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

सुभा

विश्वासभाजन

(15/8/13)
(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 100 आलख

/कृ0, पटना, दिनांक 12/8/2013

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(15/12/13)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 100 आलख

/कृ0, पटना, दिनांक 12/8/2013

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, पी0 पी0 एम0, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी संबंधित प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, (बीज) कृषि विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

(15/12/13)

(15/12/13)
सरकार के संयुक्त सचिव।

